

न्यायालय, अंचल अधिकारी, नामकुम (राँची)


अनुसूची 14-फारम सं० 562

आदेश - पत्रक
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- ता०.....से.....तक

जिला :- राँची । वाद सं० - 11 /22-23

केस का प्रकार - लगान रसीद निर्गत करने हेतु।

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|----------|-----------|------|--------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|-----|---------|--|--|--|------|----------|--|
| 12/07/2022 | <p>श्री परेश नायक, पिता स्व. शिव प्रसाद राम, ग्राम-ओबरिया, पोस्ट-हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-राँची द्वारा W.P.(c) No. 2125/2021 में पारित आदेश के आलोक में आवेदन समर्पित किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि की विवरणी</p> <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं.</th><th>खाता नं.</th><th>प्लॉट सं.</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td>डुंगरी</td><td>294</td><td>183</td><td>610</td><td>0.33 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>611</td><td>0.06 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>612</td><td>0.12 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>615</td><td>0.32 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>624</td><td>0.11 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>625</td><td>0.04 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>829</td><td>0.42 ए.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1051</td><td>12.90 ए.</td></tr></tbody></table> | मौजा | थाना नं. | खाता नं. | प्लॉट सं. | रकबा | डुंगरी | 294 | 183 | 610 | 0.33 ए. | | | | 611 | 0.06 ए. | | | | 612 | 0.12 ए. | | | | 615 | 0.32 ए. | | | | 624 | 0.11 ए. | | | | 625 | 0.04 ए. | | | | 829 | 0.42 ए. | | | | 1051 | 12.90 ए. | |
| मौजा | थाना नं. | खाता नं. | प्लॉट सं. | रकबा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| डुंगरी | 294 | 183 | 610 | 0.33 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 611 | 0.06 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 612 | 0.12 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 615 | 0.32 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 624 | 0.11 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 625 | 0.04 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 829 | 0.42 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1051 | 12.90 ए. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>पारित आदेशानुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ मालिक भूमि है। तत्संबंधी संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 19/07/22 को उपस्थापित करें ।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, नामकुम ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19/07/22

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सर्वे खतियान के अनुसार मौजा डुंगरी, खाता सं. 183 प्लॉट सं. 610 रकबा 0.33 ए., प्लॉट 611 रकबा-0.06 ए., प्लॉट 612 रकबा-0.12 ए., प्लॉट 615 रकबा-0.32 ए., प्लॉट 624 रकबा-0.11 ए., प्लॉट 625 रकबा-0.04 ए., प्लॉट 829 रकबा-0.42 ए., प्लॉट 1051 रकबा 12.90 ए. भूमि गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। लगान पानेवाले का नाम शामीलत मालिकान दर्ज है।


मूल पंजी-II के भाग सं. II पृष्ठ सं. 102 में मौजा डुंगरी खाता सं. 183 प्लॉट सं. दर्ज नहीं है रकबा 6.75 ए. भूमि अनचलता कुमारी वगै. पिता शिवप्रसाद नायक के नाम से जमाबंदी दर्ज है।


ऑनलाईन पंजी-II के भाग सं. II पेज नं. 102 में मौजा डुंगरी खाता सं. 183, प्लॉट 1051 रकबा 5.35 ए., प्लॉट 610 रकबा 0.33 ए., प्लॉट 611 रकबा 0.06 ए., प्लॉट 612 रकबा 0.12 ए., प्लॉट 615 रकबा 0.32 ए., प्लॉट 624 रकबा 0.11 ए., प्लॉट 625 रकबा 0.04 ए., प्लॉट 629 रकबा 0.42 ए. भूमि अनचलता कुमारी वगै. पिता शिवप्रसाद नायक के नाम से जमाबंदी दर्ज है।

प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित सूची के अन्तर्गत है। प्रतिबंधित सूची से विमुक्त करने हेतु उपायुक्त महोदय सक्षम पदाधिकारी है। आवेदक प्रतिबंधित सूची से विमुक्त करने हेतु उपायुक्त, राँची को उक्त भूमि से संबंधित राजस्व कागजात के साथ आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

अतः आवेदक प्रतिबंधित सूची से विमुक्त करने हेतु उपायुक्त, राँची को उक्त भूमि से संबंधित राजस्व कागजात के साथ विधिवत् आवेदन समर्पित करें साथ ही इस वाद को निष्पादित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
नामकुम।


अंचल अधिकारी
नामकुम।